दिनांक–10 अप्रैल, 2015 को विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत तथा विभाग द्वारा कार्यान्वित बख्तियारपुर, मोकामा, बाढ़, लखीसराय (काली पहाड़ी–लाली पहाड़ी) एवं लखीसराय (पुरानी बाजार) शहरी पेयजलापूर्ति योजनाओं के कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– संलग्न परिशिष्ट–'क'।

1. **बख्तियारपुर शहरी जलापूर्ति योजना** :– इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने ज्ञापांक–1019, दि0–14.03.07 द्वारा 358.969 लाख रूपये पर दी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर निविदा का निस्तार किया गया है। तत्पश्चात् कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व द्वारा संवेदक श्री मुकेश सिंह, सरमेरा कोठी, राजेन्द्र नगर, पटना के साथ एकरारनामा दि0–20.04.10 को (एकरारित राशि 348.014 लाख रूपया) किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 18 माह है। जो दि0–19.10.2011 को समाप्त हो गया है।

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस योजना अंतर्गत अब तक 348.00 लाख रूपया नगर पंचायत, बख्तियारपुर को आवंटित किया गया है, परन्तु नगर पंचायत, बख्तियारपुर द्वारा आवंटित राशि में से 210.00 लाख रूपया कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को हस्तांतरित किया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा अद्यतन व्यय 145. 32 लाख रूपया प्रतिवेदित किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि यह योजना दो जोन में बंटी है। प्रावधानित दोनों नलकूप एवं पंप गृह का निर्माण कार्य पूर्ण है। कुल प्रावधानित वितरण प्रणाली 13255 मीटर के विरूद्ध संवेदक द्वारा 9301 मीटर पाईप की आपूर्ति की गई है, जिसमे से 3685 मीटर पाईप बिछाई गई है। दो जलमीनार में से एक जलमीनार का निर्माण कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण है। साथ ही 25 एच0पी0 क्षमता के एक मोटर पंप एवं 63 के0भी0ए0 क्षमता के एक ट्रान्सफॉरमर की आपूर्ति भी संवेदक द्वारा की गई है।
- संवेदक द्वारा विगत दो वर्षो से कार्य नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण योजना अधूरा पड़ा हुआ है। कार्य0 अभि0 द्वारा संबंदक से अनेको बार पत्राचार करने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं करने के फलश्वरूप फरवरी, 2014 में दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से अंतिम मापी की सूचना प्रकाशित कराई गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा अंतिम मापी हेतु तृतीय पक्ष की नियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ से अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ ने अपने पत्रांक–343, दि0–20.02.2014 को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, बाढ़ को अंतिम मापी हेतु तृतीय पक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

परन्तु लगभग एक वर्ष के ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कार्यपालक अभियंता द्वारा अंतिम मापी की कार्रवाई नहीं की गई है, जो खेदजनक एवं कार्य के प्रति स्पष्ट उदासीनता का परिचायक है। इस बिन्दु पर आज अधीक्षण अभियंता, पटना द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ से वार्ता की गई। दूरभाष पर अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अगर कोई कठिनाई हो, तो कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता व्यक्तिगत रूप से कभी भी मिल सकते है।

इस योजना के संबंध में विशेष पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

1. योजना अंतर्गत कराये गये कार्यों की अंतिम मापी हेतु नियमानुसार सूचना शीघ्र दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर 15 दिनों के अंदर अंतिम मापी की कार्रवाई निश्चित रूप से पूर्ण करे।
2. तत्पश्चात अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्राक्कलन एक पक्ष के अंदर तैयार कराकर सक्षम पदाधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रण की कार्रवाई करे।

2. **मोकामा शहरी जलापूर्ति योजना** :– इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने ज्ञापांक–120, दि0–23.01.13 द्वारा 1304.15967 लाख रूपये पर दी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश दि0–04.03.14 को 1293.732 लाख रूपये पर निर्गत किया गया है। संवेदक द्वारा एकरारनामा दि0–04.06.14 को किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 18 माह है।

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत राशि 1304.15967 लाख रूपया नगर परिषद, मोकामा को आवंटित किया जा चुका है, परन्तु नगर परिषद, मोकामा द्वारा आवंटित राशि में से 1154.16 लाख रूपया कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थय प्रमंडल, पटना पूर्व को हस्तांतरित किया गया है। अद्यतन व्यय 756.733 लाख रूपया प्रतिवेदित किया गया है।
- यह योजना पाँच जोन में बंटी है। प्रावधानित पाँचों नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पांचो पपं गृह का निर्माण कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो गया है एवं कार्य प्रगति में है। प्रावधानित विभिन्न ब्यास के 54000 मीटर सी0आई0 पाईप के विरूद्ध 47434 मी0 सी0आई0 पाईप की आपूर्ति की गई है जिसमे से 38500 मी0 पाईप बिछाई जा चुकी है। प्रावधानित तीन जलमीनार निर्माण में दो स्थल (इंदिरा नगर एवं जिला परिषद परिसर) कि डिजाईन एवं ड्राइंग संवेदक द्वारा समर्पित किया जा चुका है। जिसे भेटिंग हेतु एन0आई0टी0 पटना को भेज दिया गया है। एन0 आई0 टी0, पटना द्वारा जिला परिषद परिसर में प्रस्तावित जलमीनार का भेटिंग कर वापस कर दिया गया है। जिसे कार्यपालक अभियंता द्वारा अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय, पटना को दि0–09.03.15 को भेजा गया है।
- पूर्व में दि0–12.02.15 को सम्पन्न बैठक में एक जलमीनार निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल मोलदियार टोला में लगभग 10 मी0 मिट्टी भड़ाव की सूचना के संबंध में कार्यपालक अभियंता को यह निदेश दिया गया था कि इस स्थल पर जलमीनार निर्माण हेतु तकनीकी दृष्टिकोण से उपर्युक्त प्रस्ताव उचित माध्यम से एक सप्ताह के अंदर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय, ताकि इस पर सक्षम प्राधिकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सके, परन्तु लगभग दो माह बाद भी प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं है। जो खेदजनक है।

विशेष पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को निम्नलिखित निदेश दिया गया :– 1. एन0आई0टी0, पटना से जलमीनार निर्माण का डिजाईन ड्राइंग का भेटिंग कार्य एक सप्ताह के अंदर कराई जाय। ततपश्चात् यथाशीघ्र क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना से डिजाईन एवं ड्राइंग का अनुमोदन कराकर स्थल पर कार्य प्रारंभ करावे।

2. मोलदियार टोला अवस्थित जलमीनार के कार्य स्थल पर मिट्टी भड़ाव के कारण जलमीनार निर्माण के संबंध में तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रस्ताव उचित माध्यम से एक सप्ताह के अंदर मुख्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, ताकि इस पर सक्षम प्राधिकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सके।

3. जलापूर्ति केन्द्रों पर विद्युत संयोजन हेतु अभी से आवश्यक कार्रवाई की जाय।

4 योजना का प्रत्येक 15 दिनों पर अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

5. अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु संवेदक से शपथ पत्र के साथ वर्क सिड्यूल प्राप्त किया जाय एवं इसकी प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

3. <u>बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजना</u> :– इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने ज्ञापांक–1239, दि0–17.05.13 द्वारा इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति राशि 991.11096 लाख रूपये पर दी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश दि0–04.03.14 को 977.832 लाख रूपये पर निर्गत किया गया है। संवेदक द्वारा एकरारनामा दि0–04.06.14 को किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 15 माह है।

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत राशि 991.11096 लाख रूपयं नगर परिषद, बाढ़ को आवंटित किया जा चुका है। नगर परिषद, बाढ़ द्वारा अब तक आवंटित राशि में से 472.78 लाख रूपया कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को हस्तांतरित किया जा चुका है। कार्यपालक अभियंता द्वारा अद्यतन व्यय 349.66 लाख रूपया प्रतिवेदित किया गया।
- यह योजना तीन जोन में बंटी है। प्रावधानित दोनों नलकूपो का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। संवेदक द्वारा बताया गया कि प्रावधानित विभिन्न ब्यास के 47245 मीटर सी0आई0 पाईप के विरूद्ध 19432 मी0 सी0आई0 पाईप की आपूति की गई है, जिसमे 17836 मी0 पाईप बिछाई जा चुकी है एवं कार्य प्रगति में है। प्रावधानित तीन अदद जलमीनार (दो अदद नया निर्माण एवं एक अदद विशेष मरम्मति) में से एक अदद जलमीनार निर्माण (जगन्नाथन हाई स्कूल) का डिजाईन ड्राइंग अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, पटना को दि0–24.02.15 को समर्पित किया गया है एवं एक अदद जलमीनार निर्माण (पशुपालन अस्पताल परिसर) का डिजाईन ड्राइंग भेटिंग हेतु दिनांक–10.03.15 को एन0आई0टी0, पटना में भेजा गया है।

विशेष पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को निम्नलिखित निदेश दिया गया :–

1. जलमीनार निर्माण का डिजाईन ड्राइंग का भेटिंग यथाशीघ्र एन0आई0टी0, पटना से करवाकर इसे अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना को भेजा जाय।
2. जलापूर्ति केन्द्रों पर विद्युत संयोजन हेतु अभी से आवश्यक कार्रवाई की जाय।
3. योजना का प्रत्येक 15 दिनों पर अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
4. अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु संवेदक से शपथ पत्र के साथ वर्क सिड्यूल प्राप्त किया जाय एवं इसकी प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

4. <u>लखीसराय (काली पहाड़ी–लाली पहाड़ी) जलापूर्ति योजना</u> :–

- इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने ज्ञापांक–1238, दि0–17.05.13 द्वारा 350.36824 लाख रूपये पर दी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश दि0–25.09.13 को 350.848 लाख रूपये पर निर्गत किया गया है। संवेदक द्वारा एकरारनामा दि0–15.10.13 को किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 15 माह है, जो दिनांक–14.01.2015 को समाप्त हो गया।
- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत राशि 350.848 लाख रूपया नगर परिषद, लखीसराय को आवंटित किया जा चुका है। नगर परिषद, लखीसराय द्वारा आवंटित राशि 350.848 लाख रूपया में से 215.36824 लाख रूपया कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय को हस्तांतरित किया गय है। कार्यपालक अभियंता द्वारा अद्यतन व्यय 147.198 लाख रूपया प्रतिवेदित किया गया है।

Sd/-

- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रावधानित एक अदद नलकूप का निर्माण कार्य अस्पताल परिसर में पूर्ण हो चुका है। पंप गृह का निर्माण कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण है। प्रावधानित विभिन्न ब्यास के 7090 मीटर सी0आई0 पाईप की आपूर्ति की जा चुकी है। अब तक राइजिंग मेन 2000 मी0 के विरूद्ध 1100 मी0 एवं वितरण प्रणाली 5090 मी0 के विरूद्ध 4443 मी0 पाईप बिछाई जा चुकी है। प्रावधानित एक अदद 75000 गैलन क्षमता के जलमीनार निर्माण का कार्य प्रगति में है। Pump and Motor का Conceptual Design Report (CDR) अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

विशेष पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को निम्नलिखित निदेश दिया गया :– 1. एन0आई0टी0, पटना से जलमीनार एवं संप निर्माण का डिजाईन ड्राइंग का भेटिंग कार्य एक सप्ताह के अंदर कराई जाय। ततपश्चात् यथाशीघ्र क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना से डिजाईन एवं ड्राइंग का अनुमोदन कराकर स्थल पर कार्य प्रारंभ करावे।

2. जलापूर्ति केन्द्रों पर विद्युत संयोजन हेतु अभी से ही आवश्यक कार्रवाई की जाय।

3. योजना का प्रत्येक 15 दिनों पर अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

4. नियमानुसार पथ निर्माण विभाग को Land use cost का भुगतान कर कार्यों में गुणात्मक प्रगति लाई जाय।

5. Pump and Motor का Conceptual Design Report (CDR) के अनुमोदन की कार्रवाई शीघ्र की जाय।

6. संप (क्षमता 75000 गैलन) का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ की जाय ।

7. अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु संवेदक से शपथ पत्र के साथ वर्क सिड्यूल प्राप्त किया जाय एवं इसकी प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

5. <u>लखीसराय (पुरानी बाजार) जलापूर्ति योजना</u> :–

- इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने ज्ञापांक–1237, दि0–17.05.13 द्वारा 408.749265 लाख रूपये पर दी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश दि0–25.09.13 को 408.9265 लाख रूपये पर निर्गत किया गया है। संवेदक द्वारा एकरारनामा दि0–15.10.13 को किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 15 माह है, जो दिनांक–14.01.2015 को समाप्त हो गया।

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत राशि 408.749265 लाख रूपया नगर परिषद, लखीसराय को आवंटित किया जा चुका है। नगर परिषद, लखीसराय द्वारा आवंटित राशि 408.749265 लाख रूपया में से 358.49265 लाख रूपया कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय को हस्तांतरित किया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा अद्यतन व्यय 187.222 लाख रूपया प्रतिवेदित किया गया है।

- यह योजना दो जोन में बंटी है। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय द्वारा बताया गया कि प्रावधानित दोनो नलकूपो का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रावधानित विभिन्न ब्यास के लगभग 9775 मीटर सी0आई0 पाईप की आपूर्ति की गई है। जिसमे से अब तक 8867 मीटर पाईप बिछाई जा चुकी है। प्रावधानित दो अदद एक लाख गैलन क्षमता के जलमीनार निर्माण कार्य प्रगति में है। साथ ही Pump and Motor का Conceptual Design Report (CDR) अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

विशेष पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को निम्नलिखित निदेश दिया गया :—

1. जलापूर्ति केन्द्रों पर विद्युत संयोजन हेतु अभी से ही आवश्यक कार्रवाई की जाय।
2. योजना का प्रत्येक 15 दिनों पर अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
3. अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु संवेदक से शपथ पत्र के साथ वर्क सिड्यूल प्राप्त किया जाय एवं इसकी प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

15.4.15

(सतीश चन्द्र मिश्र)
विशेष पदाधिकारी

ज्ञापांक–7/वि01–136/2014– 332 दिनांक–16/4/2015

प्रतिलिपि–

ई–मेल द्वारा

1. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना/ भागलपुर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना/बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व/लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता (ना0)/कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0)/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेव–साईट पर अपलोड करें।

15.4.15

(सतीश चन्द्र मिश्र)
विशेष पदाधिकारी

ज्ञापांक– 332 दिनांक– 16/4/2015

प्रतिलिपि–
1. Ashoka Tubwell Boring Engineering & Construction Company. 7, Shivam Complex, Near- N.M. College, Daud Bigha, Kankarbagh Road, Panta-26,
2. M/s Construction and Construction, Ashiyana Nagar Road, Patna- 800025, e-mail- gyani786@yahoo.co.in को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.4.15

(सतीश चन्द्र मिश्र)
विशेष पदाधिकारी